

फर्द अहकाम

कार्यालय
 प्रार्थी नन्द लाल विपक्षी पूनम चन्द
 किस्म मुकदमा वाद पत्रावली संख्या 118/12 पद.....

क्रमांक	कार्यवाहिक वितरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
27/1	पत्रावली प्रस्तुत हुई/आज पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश में है/राजकीय भ्रमण पर है। अतः पत्रावली दि. 15-5-17 को पेश हो।	
6-5-17	पत्रावली में पक्षकारान को राजस्व लोक-अदालत/केम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु नोटिस जारी होकर पत्रावली दि. 23-5-17 को कोर्ट केम्प... पेश हो।	
23-5-17	पत्रावली राजस्व अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार-2017 कोर्ट केम्प... पेश हुई। वादी/प्रतिवादी उपस्थित/नहीं। प्रकरण में राजीनामा नहीं होने से प्रकरण मेरिट पर निस्तारण हेतु पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 14-5-17 को पेश है।	
6-11-17	मंतात्मिक कर्मचारीगण सामूहिक अवकाश पर जाने से पत्रावली आज पेश हुई। माधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। शहादत वादीगण हेतु अवसर प्राप्त। अवसर दिए जाकर पत्रावली दि. 24-1-18 को पेश हो।	
24-1-18	पत्रावली प्रस्तुत हुई/आज पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश में है/राजकीय भ्रमण पर है। अतः पत्रावली दि. 14-5-18 को पेश हो।	
14-3-18	माधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित/शहादत वादीगण हेतु अवसर प्राप्त। अवसर दिए जाकर पत्रावली दिनांक 9-5-18 को पेश हो।	

26-4-18

पत्रावली में पक्षकारान को राजस्व लोक-
अदालत/केम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु नोटिस
जारी होकर पत्रावली दि. 15.5.18 को
कोर्ट केम्प में पेश हो

15-5-18

पत्रावली राजस्व अदालत अधिवक्ता द्वारा
आपको द्वार-2018 कोर्ट केम्प में पेश हो
पेश हुई। वादी/प्रतिवादी उपस्थित/नहीं।
प्रकरण में राजीनामा नहीं होने से प्रकरण
मेरिट पर निस्तारण हेतु पूर्व आदेश की
पालना में दिनांक 22.5.18 को पेश है

पुनर्पत्रावली

8-8-18

आधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित
शहदत वादीगण हेतु उत्तर पत्रावली
प्रतिपक्ष भण्डार किया जाकर पत्रावली
दिनांक 9-10-18 को पेश है

9-10-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई/आज पीठासीन अधिकारी
महोदय निर्वाचन कार्य में व्यस्त है।
अतः पत्रावली दि. 21.11.18 को पेश हो

22-11-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई/आज पीठासीन अधिकारी
महोदय निर्वाचन कार्य में व्यस्त है।
अतः पत्रावली दि. 12.3.19 को पेश हो

(2-3-19

आधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित/शहदत
वादीगण हेतु उत्तर पत्रावली
सक गोर उत्तर दिया जाकर पत्रावली
दिनांक 8-5-19 को पेश है

8-5-19

आधिवक्ता वादीगण उपस्थित नहीं प्रतिवादीगण
के आधिवक्ता उपस्थित। वादीगण एवं प्रतिवादीगण
के आधिवक्ता को बार-बार आवाने (सुनवाई गई)
वादीगण को गोर से कोई उपस्थित नहीं। अतः
वादीगण का वाद उदम दर्जरी उदम परकी
शुद्धि की जाती है। पत्रावली के संलग्न शुभार
होकर दाखिल करवाए हैं।

सहायक कलक्टर

(उपसचिव अधिकारी)

नाथद्वारा जिला राजसमूह